न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
आवासीय दालान मालिक (बबलू कुमार सिंह)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– 421/2020–21,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त आवासीय दालान के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 53/म0नि0 एवं दिनांक–13.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 640/2019, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं आवासीय दालान के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–रामपुर(सरोजा वार्ड नं0 07), थाना–सिमरी बख्तियारपुर, घटना की तिथि–30.12.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त स्थान एवं तिथि को अभियुक्त के घर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की तलासी लेने पर अभियुक्त के परिसर में अवस्थित तीन कमरों वाले दलान के सबसे दक्षिणी कमरे जो कि बाये में है, से एक बैग में छिपाकर रखे गये आई0बी0ब्रांड के रखे 180 एम0एल0 के 34 पीस तथा मेक्डोवल नं0 01 रम्फ पटे बोतल के 750 एम0एल0 का 03 पीस बरामद एवं जप्त हुआ। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। जप्त कुल 37 बोतलों में 8.370 ली0 अवैध विदेशी शराब से 180 एम0एल0 का 04 पीस तथा 750 एम0एल0 का 01 पीस कुल 1.470 ली0 नमूना को माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक–06. 01.20 को उत्पाद रसायन परिक्षक बिहार पटना को हस्तगत करा दिया गया है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्त के परिसर में अवस्थित दालान (कमरा) के अधिहरण के साथ–साथ शेष बचे 6.9 ली0 शराब को विनष्ट करने का कृपा की जाय।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त आवासीय दालान के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया	

गया।

प्रतिवादी बबलु कुमार सिंह, पिता– स्व० इन्द्रदेव प्रसाद सिंह, साकिन– रामपुर सरौजा, वार्ड नं० 07 थाना– सिमरी बख्तियारपुर, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी का कहना है कि उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट एंव अनिश्चित है क्योंकि जिस दलान तथा तीन कमरे की बात की गई है उसका मौजा, खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी नहीं दिया गया है। प्रतिवादी के विरूद्ध आज तक किसी भी तरह का कोई शिकायत एवं मुकदमा नहीं है। वास्तविकता यह है कि श्री अशरफ जमाल तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक (मद्यनिषेध) एवं फैयाज अहमद तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक (मद्यनिषेध) सहरसा ही मद्य निषेध के अवैध कारोबार में संलिप्त थे जिस बात का विरोध जिला स्तर पर होता रहा और विपक्षी के द्वारा भी उक्त उत्पाद अधीक्षक एवं उत्पाद निरीक्षक के अवैध धंधा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। मद्य निषेध के मामले में गलत काम के कारण तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक(मद्य निषेध) श्री अशराफ जमाल एवं तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक (मद्य निषेध) फैयाज अहमद सहरसा के विरूद्ध सहरसा थाना कांड सं0–39/2020 दिनांक–14.01.2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिसका स्पेशल केस नं0 33/2020 है। वर्त्तमान में उक्त कांड को सत्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

इनका आगे कहना है कि इनके द्वारा किसी भी तरह से मद्य निषेध का सेवन, भंडारण एवं बिक्री आदि नहीं किया जाता है। वास्तविकता यह है कि उत्पाद अधीक्षक एवं उत्पाद निरीक्षक के विरूद्ध शिकायत किये जाने को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इनके विरूद्ध गलत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इनका यह भी कहना है कि अभियोजन रिपोर्ट में घटनास्थल के तौर पर जिस दालान का जिक्र किया गया है वह प्रतिवादी का नहीं है। प्रतिवादी उक्त दालान के स्वामी नहीं हैं और उक्त दालान से इनका कोई लेना–देना नहीं है। उक्त दालान की सम्पत्ति तारणी प्रसाद सिंह के छः पुत्रों की है जो संयुक्त है तथा न्यायालय से किसी भी प्रकार का बँटवारा नहीं है। जमीन का जमाबंदी तारणी प्रसाद सिंह के नाम से है एवं जमीन मालिक को नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में इस अधिहरण वाद की कार्यवाही चलने लायक नहीं है जिसे न्याय हित में समाप्त किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी के ओर से मुख्यतः इन्हीं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जप्त दालान, जो प्रतिवादी का नहीं है, के विरूद्ध किसी भी तरह की कार्यवाही या बिक्री पर रोक लगाकर वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि आवासीय दालान का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव

	के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त आवासीय घर को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि अधिहरण प्रस्ताव में प्रस्तावित सम्पत्ति का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः, उक्त अधिहरण प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत समाहर्त्ता सहरसा। समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 920/न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.12.20

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।